



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय)/अधी.अ.(वाणिज्य)/अ.अ.-II/2016-17/प्रे 4923 दि: 20-2-17


आदेश

विषय:- मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के भार की जाँच के सम्बन्ध में।

मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के भार की जांच की साधारणतया आवश्यकता नहीं है। कई उपभोक्ताओं के मीटर खराब होने पर फ्लैट रेट के अनुसार बिलिंग की जाती है। ऐसे मामलों में यह निर्देशित किया जाता है कि मीटर खराब होने की स्थिति में भार की जांच की जावे एवं उपभोक्ता को एक माह का नोटिस देकर उपभोक्ता द्वारा नोटिस का उत्तर मिलने के पश्चात् या 30 दिन बाद ही भार बढ़ाने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

जिन उपभोक्ताओं की जांच किये बिना अथवा उपभोक्ता के आवेदन किये बिना ही बढ़े हुये भार की बिलिंग की जा रही है। ऐसे प्रकरण में पूर्व में स्वीकृत भार के अनुसार ही बिल जारी किये जावे। विवाद की स्थिति में समझौता समिति के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

आज्ञा से


20/02/2017

(एन. एल. सालवी)

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनि.लि, अजमेर